1.5 अवैध शिकार

प्रदेश में 8 राष्ट्रीय उद्यान/टाइगर रिजर्व एवं 2 वन्यप्राणी वनमंडल है। इसके अतिरिक्त कई अभयारण्य एवं वन्यप्राणी बाहुल्य क्षेत्र विद्यमान हैं जिनमें बाघ, तेन्दुआ, सिंह, गौर, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, भालू एवं अन्य महत्वपूर्ण वन्यप्राणी विद्यमान हैं।

वर्ष 2013 में अवैध शिकार के कुल 673 प्रकरण पंजीबद्ध हुये, विगत 5 वर्ष में अवैध शिकार के प्रकरणों की स्थिति निम्न **'बार चार्ट'** में दर्शित है :–

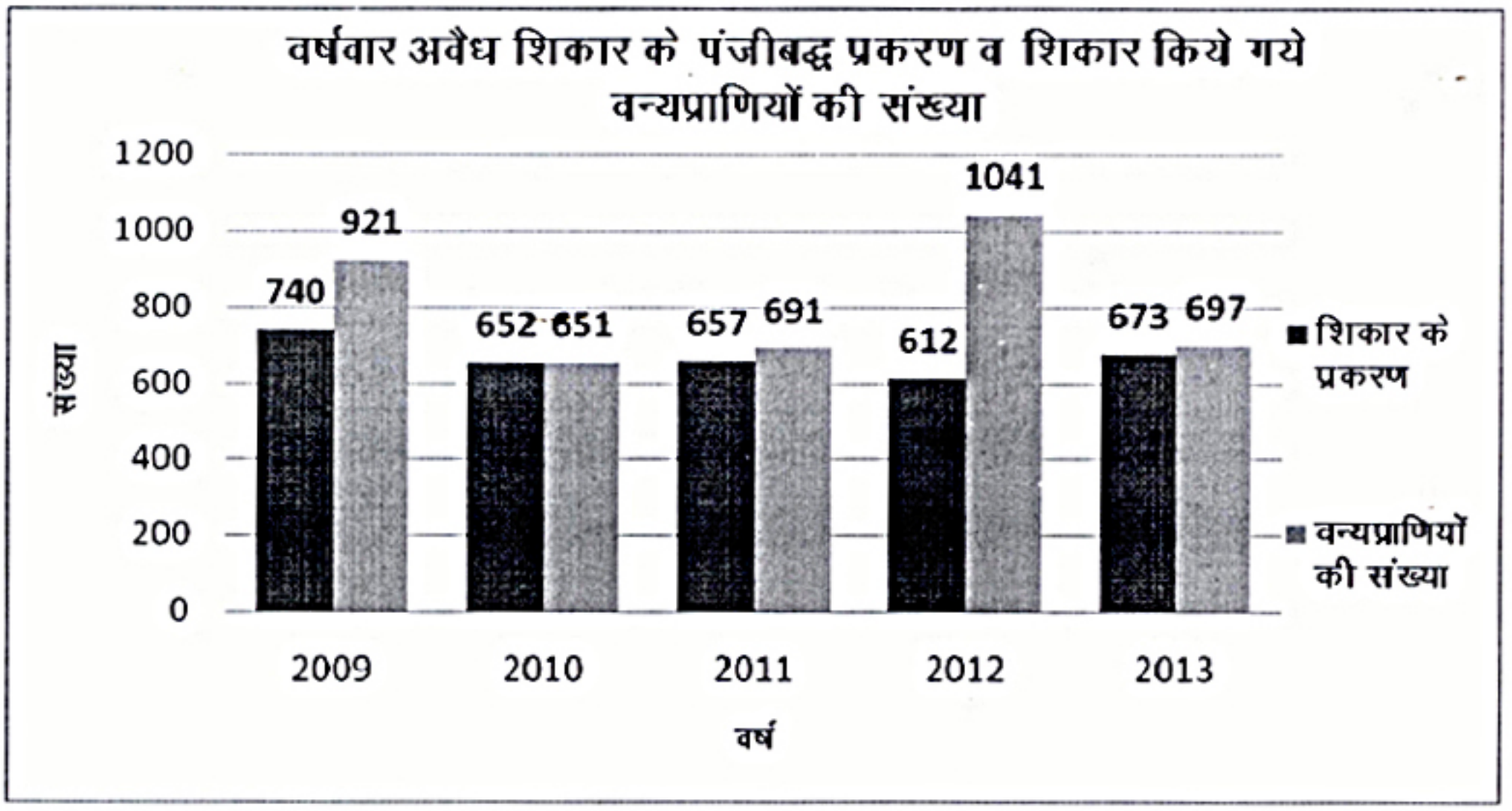

इससे पता चलता है कि प्रदेश में औसतन 650 वन्यप्राणियों के शिकार के प्रकरण प्रतिवर्ष पंजीबद्ध किये जाते हैं। विगत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2013 में अवैध शिकार में मृत वन्यप्राणियों की संख्या में कमी आई है।

वर्ष 2013 में अवैध शिकार के प्रकरणों के अवरोही क्रम में वन वृत्तों की स्थिति निम्नानुसार है :–

अ.क्र.	वृत्त	अवैध शिकार के प्रकरण	वन्यप्राणियों की संख्या
1	शहडोल	79	72
2	रीवा	72	67
3	जबलपुर	66	71
4	छतरपुर	64	53
5	ग्वालियर	59	90
6	सागर	56	40
7	भोपाल	52	82
8	बालाघाट	50	60
9	छिंदवाड़ा	29	31
10	सिवनी	25	24

इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में सर्वाधिक शिकार की घटनाएं शहडोल, रीवा, जबलपुर एवं छतरपुर वृत्तों में होती हैं।

वन मण्डल पूर्व छिंदवाड़ा के अंतर्गत अवैध शिकार में मृत तेन्दुआ

वर्ष 2013 में अवैध शिकार के प्रकरणों के अवरोही क्रम में वनमण्डलों की स्थिति निम्नानुसार है :–

अ.क्र.	वनमण्डल	अवैध शिकार के प्रकरण	वन्यप्राणियों की संख्या
1	द0 बालाघाट	38	45
2	कटनी	35	33
3	उमरिया	31	21
4	उत्तर पन्ना	27	27
5	दक्षिण शहडोल	21	23
6	दमोह	21	22
7	सीधी	21	21
8.	सतना	20	20
9	छतरपुर	20	0
10	रीवा	18	13
11	पूर्व छिंदवाड़ा	18	20

12	दक्षिण सिवनी	18	17
13	उत्तर शहडोल	17	18
14	उत्तर सागर	14	3
15	दक्षिण सागर	14	15

स्पष्ट है कि सर्वाधिक अवैध शिकार की घटनाएं दक्षिण बालाघाट, कटनी, उमरिया, उत्तर पन्ना, दक्षिण शहडोल एवं दमोह वनमंडल में हुई हैं।

1.6 अवैध चराई

मध्यप्रदेश में चराई के नियमन के लिये म0प्र0 चराई नियम बनाया गया है, जिसके अनुसार आरक्षित एवं संरक्षित वनों में ऊँट, भेड़ एवं बकरियों की चराई प्रतिषिद्ध है तथा अन्य पशुओं की संख्या वन क्षेत्र की चराई क्षमता के अनुसार निर्धारित की गई है। प्रदेश के वनों में न केवल स्थानीय व्यक्तियों के जानवर चरते हैं, वरन् सीमान्त प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में जानवर चराई हेतु लाये जाते हैं, जिससे वनों की पुनर्उत्पादन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ।

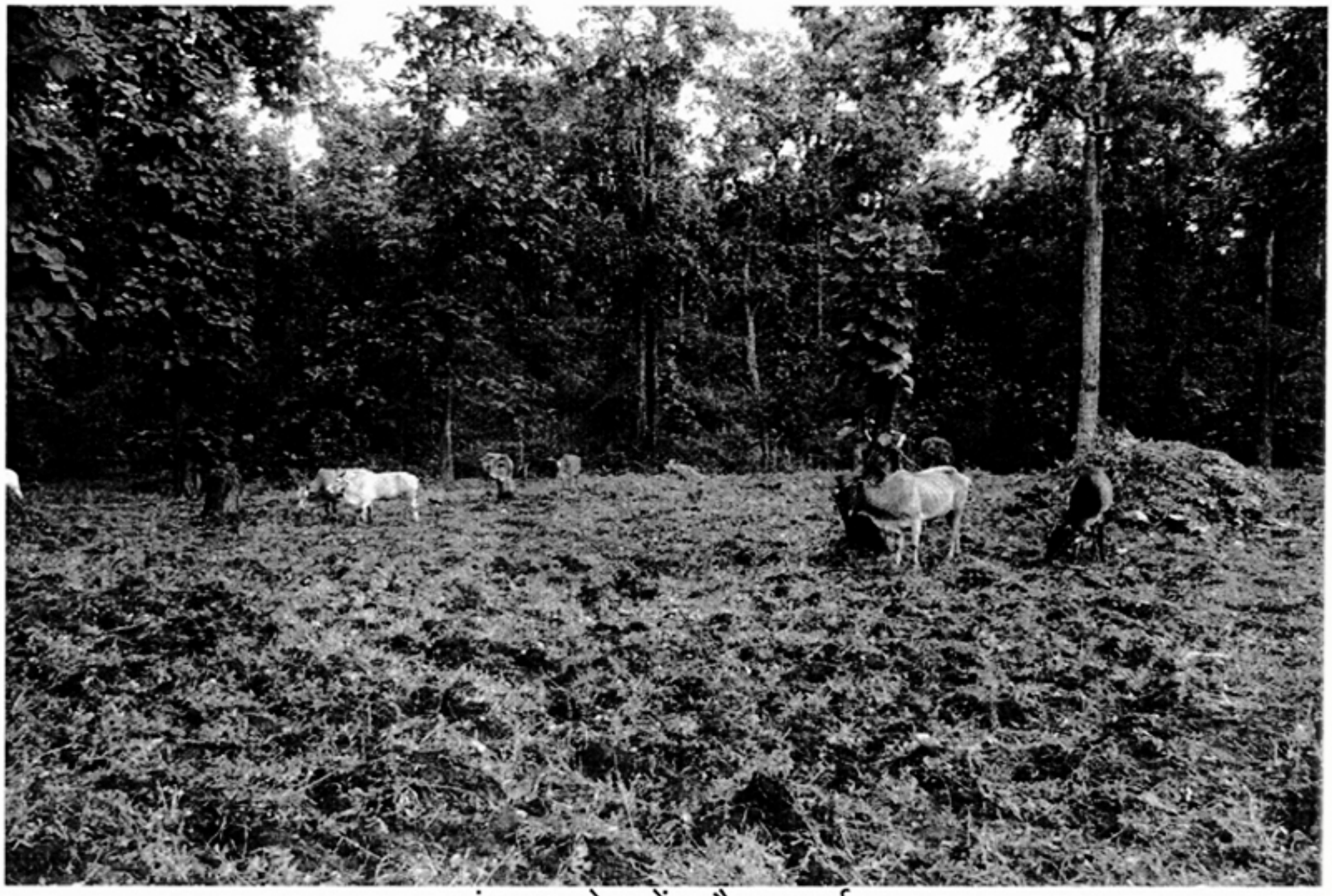

बंद वन क्षेत्र में अवैध चराई

वर्ष 2013 में अवैध चराई के 1031 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। विगत 8 वर्षो में चराई प्रकरणों की स्थिति निम्न 'बार चार्ट' में दर्शित है ।

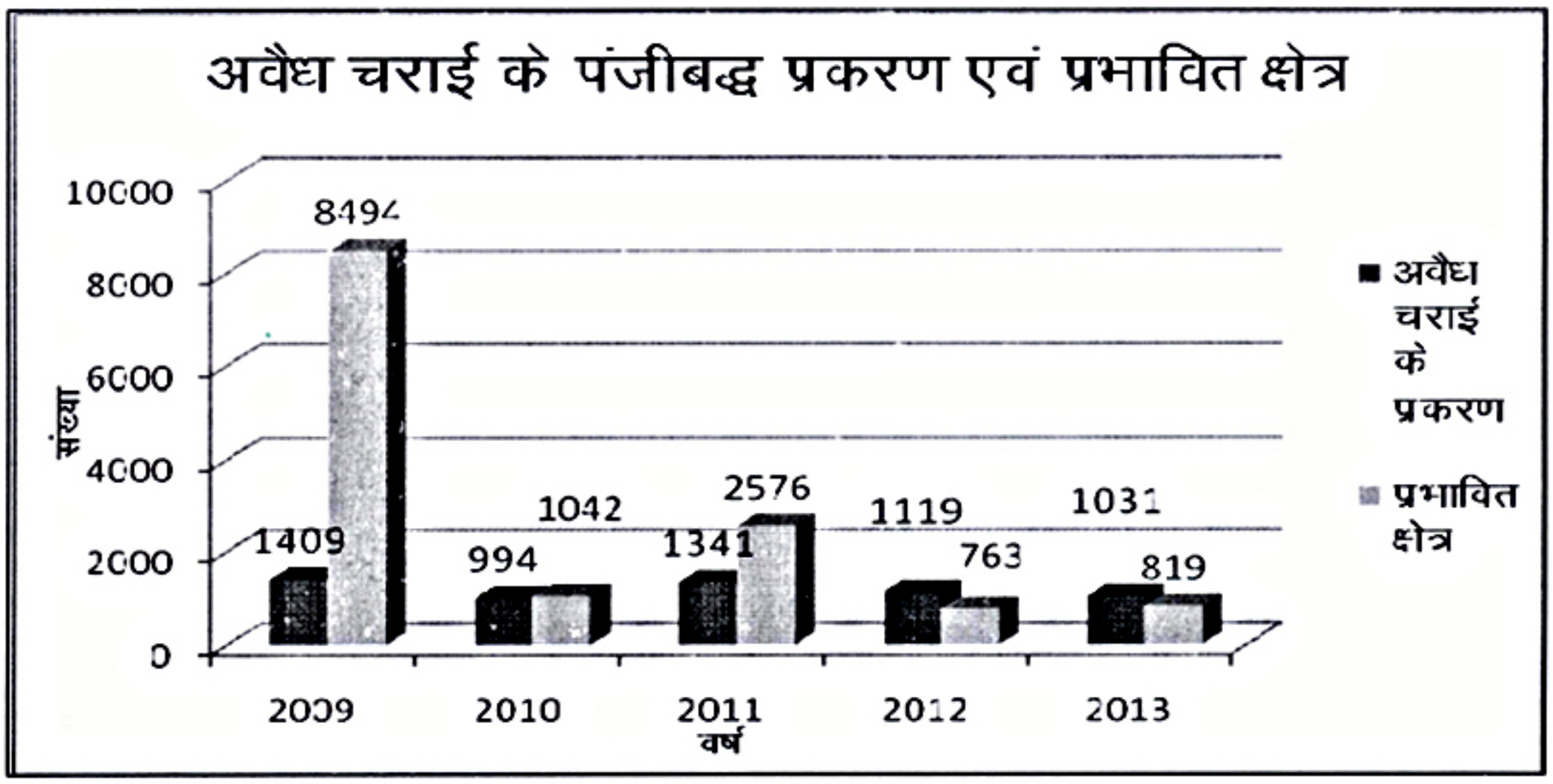

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि चराई का दबाव प्रतिवर्ष लगभग एक समान ही रहता है। प्रदेश के वनों के विस्तार को देखते हुये चराई प्रकरणों की संख्या बहुत कम प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय अमला चराई नियमन को गम्भीरता से नहीं ले रहा है। संभवतः एक सामाजिक एवं राजनैतिक पहलू होने के कारण चराई नियम का कड़ाई से अनुपालन संभव नहीं हो पा रहा है।

प्रदेश के बाहर से आये मवेशियों द्वारा की जा रही अवैध चराई

वर्ष 2013 में चराई हेतु सर्वाधिक प्रकरणों के अवरोही क्रम में वन वृत्तों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शित है :–

अ.क्र.	वृत्त	अवैध चराई के प्रकरण	प्रभावित क्षेत्र(हे.मे)
1	उज्जैन	272	16.1
2	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	124	111.0
3	ग्वालियर	110	25.7
4	खण्डवा	103	104.3
5	रीवा	58	10.9
6	इंदौर	50	37.6
7	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	45	26.0
8	जबलपुर	41	36.5
9	छिंदवाड़ा	36	7.5
10	सागर	26	54.7

स्पष्ट है कि वर्ष 2013 में सर्वाधिक चराई के प्रकरण उज्जैन, पन्ना टा.रि., ग्वालियर, खण्डवा एवं रीवा वृत्तों में पंजीबद्ध किये गये।

वर्ष 2013 में चराई हेतु सर्वाधिक प्रकरणों के अवरोही क्रम में वनमण्डलों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शित है :–

अ.क्र.	वनमण्डल	अवैध चराई के प्रकरण	प्रभावित क्षेत्र (हे.मे)
1	पन्ना टायगर रिजर्व पन्ना	124	111
2	नीमच	109	0
3	मंदसौर	72	2
4	रतलाम	59	0
5	श्योपुर	54	7
6	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	45	26
7	खण्डवा	40	15
8	सीधी	34	1
9	पश्चिम छिंदवाड़ा	32	7
10	देवास	29	14
11	हरदा	26	13
12	बुरहानपुर	24	8

13	इंदौर	24	28
14	खरगौन	21	30
15	डिण्डौरी	19	21

स्पष्ट है कि सर्वाधिक चराई प्रकरण पन्ना टा.रि. नीमच, मंदसौर, रतलाम एवं श्योपुर वनमंडलों में दर्ज हुए हैं।

1.7 आरा मशीन

प्रदेश में कुल 2961 आरा मशीनों की अनुज्ञप्ति जारी की गई है। आरामशीनों की गतिविधियों के नियमन के लिये मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 अधिनियमित किया गया है। आरा मशीनों से संबंधित अपराधों में केवल उन्हीं अपराधों को सम्मिलित किया जाता है जो उक्त अधिनियम के उल्लंघन में पंजीबद्ध किये गये हैं। म0प्र0 काष्ठ चिरान अधिनियम में आरा मशीनों को राजसात भी किये जाने का प्रावधान है। वस्तुतः प्रदेश में आरा मशीन मालिकों से ईमानदारी से पर्यावरण एवं वनों के संरक्षण में सहयोग करने की उम्मीद की जाती है। परन्तु कुछ आरा मशीन मालिक नियमों का उल्लंघन करते ही रहते हैं, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2013 में 311 आरामशीनों के प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा 158 आरा मशीनें जप्त की गयी। विगत 8 वर्षो के आरामशीनों के प्रकरणों की स्थिति निम्न **'बार चार्ट'** में दर्शित है :–

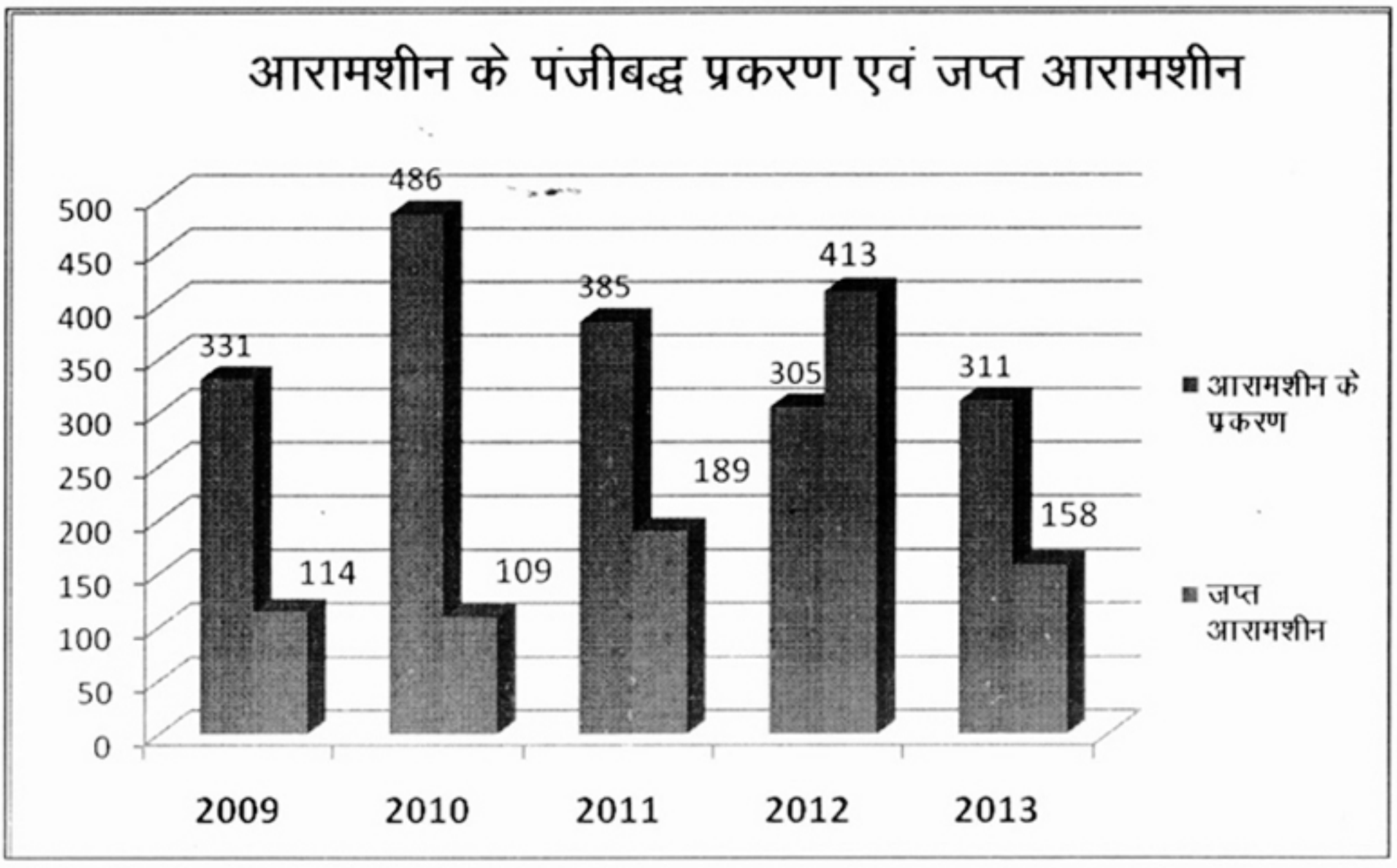

इससे स्पष्ट है कि वर्ष में आरामशीनों के औसतन 363 प्रकरण प्रतिवर्ष पंजीबद्ध होते हैं। आरा मशीनों के प्रकरण गम्भीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। अतः संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन कर अवैधानिक गतिविधि करने वाले आरा मशीन मालिको के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अपेक्षित है।

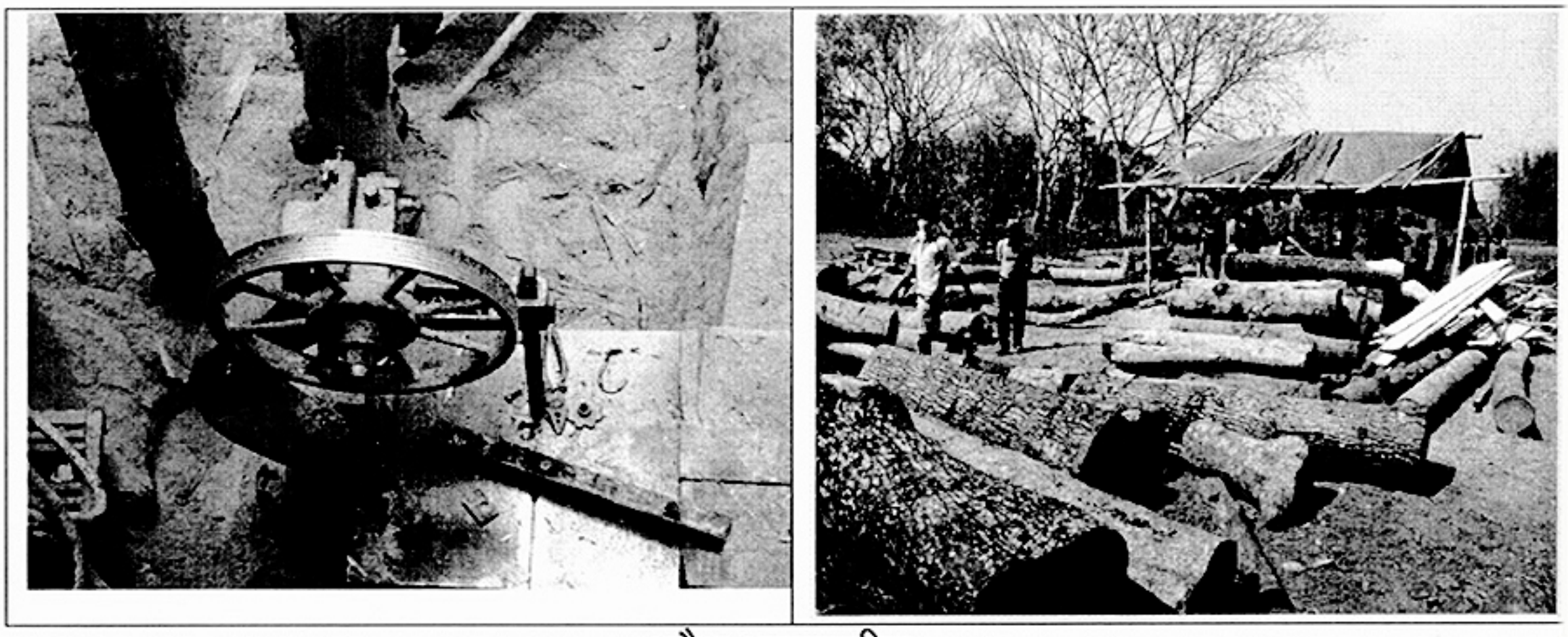

अवैध आरामशीन

वर्ष 2013 में आरा मशीनों के प्रकरणों के अवरोही क्रम में वृत्तों की स्थिति की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील वन मण्डल निम्न तालिका में दर्शित हैं :–

अ.क्र.	वृत्त	आरामशीन के प्रकरण	जप्त आरामशीन
1	उज्जैन	134	10
2	भोपाल	59	57
3	छतरपुर	45	42
4	ग्वालियर	32	13
5	शिवपुरी	10	8

स्पष्ट है कि आरामशीन के सर्वाधिक प्रकरण उज्जैन, भोपाल एवं छतरपुर वृत्तों में पंजीबद्ध हुए हैं।

वर्ष 2013 में आरा मशीनों के प्रकरणों के अवरोही क्रम में वन मण्डलों की स्थिति की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील वनमण्डल निम्न तालिका में दर्शित हैं:–

अ.क्र.	वनमण्डल	आरामशीन के प्रकरण	जप्त आरामशीन
1	शाजापुर	62	0
2	राजगढ़	50	50
3	छतरपुर	36	33
4	उज्जैन	31	2
5	रतलाम	22	0
6	नीमच	10	3
7	शिवपुरी	10	8
8	टीकमगढ़	9	9
9	दतिया	8	5
10	विदिशा	8	7
11	मुरैना	7	4
12	रीवा	7	7
13	हरदा	6	2
14	भिण्ड	6	0
15	उत्तर बैतूल	5	5

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आरा मशीनों के सर्वाधिक प्रकरण उन वनमंडलों में दर्ज किये गये हैं, जहां पर वन क्षेत्र सामान्य से कम है। उदाहरण स्वरूप शाजापुर, राजगढ़, उज्जैन, रतलाम एवं नीमच आदि हैं। उक्त वनमण्डलों में आरा मशीनों के विरूद्ध और प्रभावी कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है।

2— <u>पंजीकृत वन अपराध प्रकरणों में जांच की स्थिति</u> :—

वर्ष 2013 में कुल 62485 प्रकरण जाँच हेतु प्राप्त हुये तथा विगत वर्ष के 36148 प्रकरण लंबित थे, इस प्रकार 98961 प्रकरण जाँच हेतु लंबित है, जिसमें से 62907 प्रकरणों की जाँच पूर्ण की गई। वर्ष के अन्त में कुल 36054 प्रकरण जाँच के लिये शेष रहे।

विगत 5 वर्षों में वर्षवार जांच हेतु प्राप्त, जांच किये गये तथा वर्ष के अंत में शेष रह गये कुल प्रकरणों की स्थिति निम्न 'बार चार्ट में दर्शित है :—

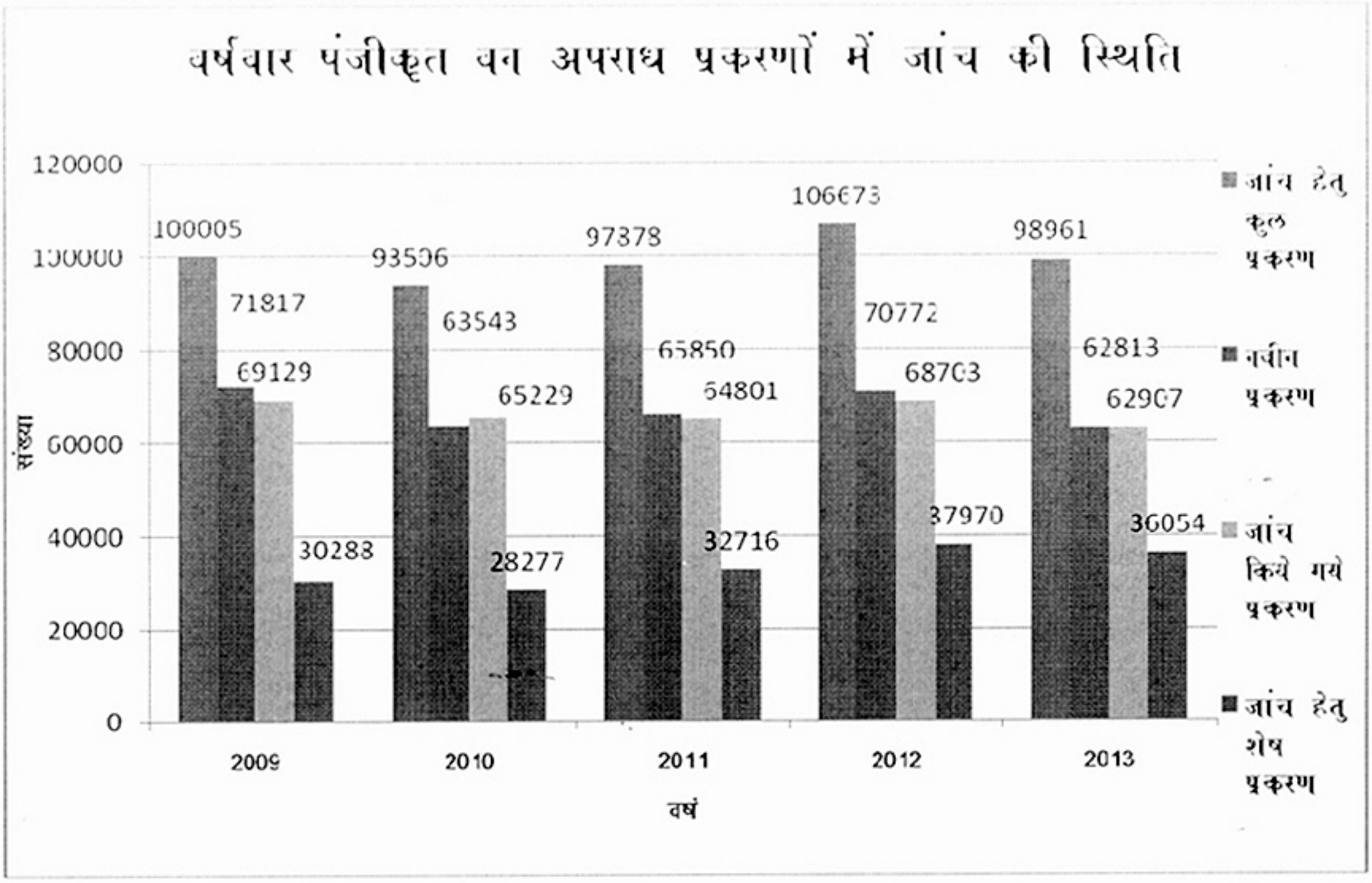

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि वर्ष के अंत में प्रकरण जॉच हेतु लंबित है जिसके फलस्वरूप इन प्रकरणों का अभिंसधान/न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने में विलंब होना सम्भावित है तथा इसका अप्रत्यक्ष रूप से वन अपराधी को लाभ मिलने की सम्भावना बनी रहेगी ।

वर्ष 2013 के अंत में जांच हेतु लंबित प्रकरणों का प्रतिशत अवरोही क्रम में वृत्तों की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्रमांक	वृत्त	कुल प्रकरण	वर्ष में जांच हेतु शेष प्रकरण	जांच हेतु शेष प्रकरणों का प्रतिशत
1	पन्ना टा.रि. छतरपुर	2156	2146	99.5
2	सजंय टा.रि. सीधी	275	224	81.5
3	शिवपुरी	4917	3025	61.5
4	बांधवगढ़ टा.रि. उमरिया	633	372	58.8
5	कान्हा टा.रि. मण्डला	1222	645	52.8
6	सतपुड़ा टा.रि. पचमढ़ी	165	74	44.8
7	रीवा	4456	1889	42.4
8	बालाघाट	5475	2298	42.0
9	छतरपुर	6978	2925	41.9
10	सागर	8450	3053	36.1
11	होशंगाबाद	3418	1185	34.7

12	छिंदवाड़ा	6657	2117	31.8
13	सिवनी	5812	1609	27.7
14	खण्डवा	9336	2397	25.7
15	जबलपुर	7737	1958	25.3
16	बैतूल	6157	1546	25.1
17	भोपाल	10250	2515	24.5
18	इंदौर	1934	393	20.3
19	शहडोल	4297	850	19.8
20	ग्वालियर	3606	685	19.0
21	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	218	40	18.3
22	पेच टा.रि. सिवनी	19	3	15.8
23	उज्जैन	4529	447	9.9
24	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	264	23	8.7

इससे स्पष्ट है कि पन्ना टाईगर रिजर्व, संजय टाईगर रिजर्व सीधी, शिवपुरी में जाँच की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उक्त वृत्तों में 60 प्रतिशत से अधिक प्रकरण जांच हेतु लंबित हैं। अन्य वन वृत्तों में जिनमें लंबित प्रकरणों की संख्या 40 प्रतिशत से अधिक है, की जाँच पर विशेष ध्यान दिये जाने की तत्काल आवश्यकता है।

वर्ष 2013 के अंत में जांच हेतु लंबित प्रकरणों का अवरोही क्रम में प्रतिशत वनमण्डलवार स्थिति निम्नानुसार है :–

क्रमांक	वनमण्डल का नाम	कुल प्रकरण	वर्ष में जांच हेतु शेष प्रकरण	जांच का प्रतिशत
1	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	2156	2146	99.5
2	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	275	224	81.5
3	भिण्ड	113	84	74.3
4	टीकमगढ़	1210	781	64.5
5	गुना	2776	1748	63.0
6	शिवपुरी	1763	1059	60.1
7	उत्तर बालाघाट	2634	1571	59.6
8	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	633	372	58.8
9	अशोकनगर	378	218	57.7

10	नरसिंहपुर	2196	1199	54.6
11	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	1222	645	52.8
12	बडवानी	6	3	50.0
13	पश्चिम छिंदवाड़ा	2385	1141	47.8
14	सतना	1272	596	46.9
15	सिंगरौली	2067	960	46.4

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि पन्ना टाईगर रिजर्व एवं संजय टाइगर रिजर्व सीधी, भिण्ड, टीकमग, गुना में वर्ष 2013 के अंत में जाँच हेतु रह गये प्रकरणों का प्रतिशत 80 से अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन वनमण्डलों में वन अपराध प्रकरण एवं वन सुरक्षा को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। जिन वनमण्डलों में शेष रह गये प्रकरणों का प्रतिशत 50 से ऊपर पाया गया है, उन वनमण्डलों को विशेष प्रयास कर वन अपराध प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने की जरूरत है।

3– <u>पंजीकृत वन अपराध प्रकरणों में अभिसंधान की स्थिति</u> :–

वर्ष 2013 में प्रशमन हेतु कुल 54592 प्रकरण प्राप्त हुये तथा विगत वर्ष के 30200 प्रकरण अभिसंधान हेतु लंबित थे। इस प्रकार कुल 84792 प्रकरणों में से 51568 प्रकरणों का प्रशमन किया गया। वर्ष के अन्त में कुल 33224 प्रकरण प्रशमन हेतु शेष रहे। स्पष्ट है कि प्रकरणों के प्रशमन की स्थिति असंतोषजनक है।

विगत 5 वर्षों में वर्षवार अभिसंधान हेतु प्राप्त, अभिसंधान किये गये तथा शेष रह गये कुल प्रकरणों की स्थिति निम्न 'बार चार्ट'में दर्शित है :–

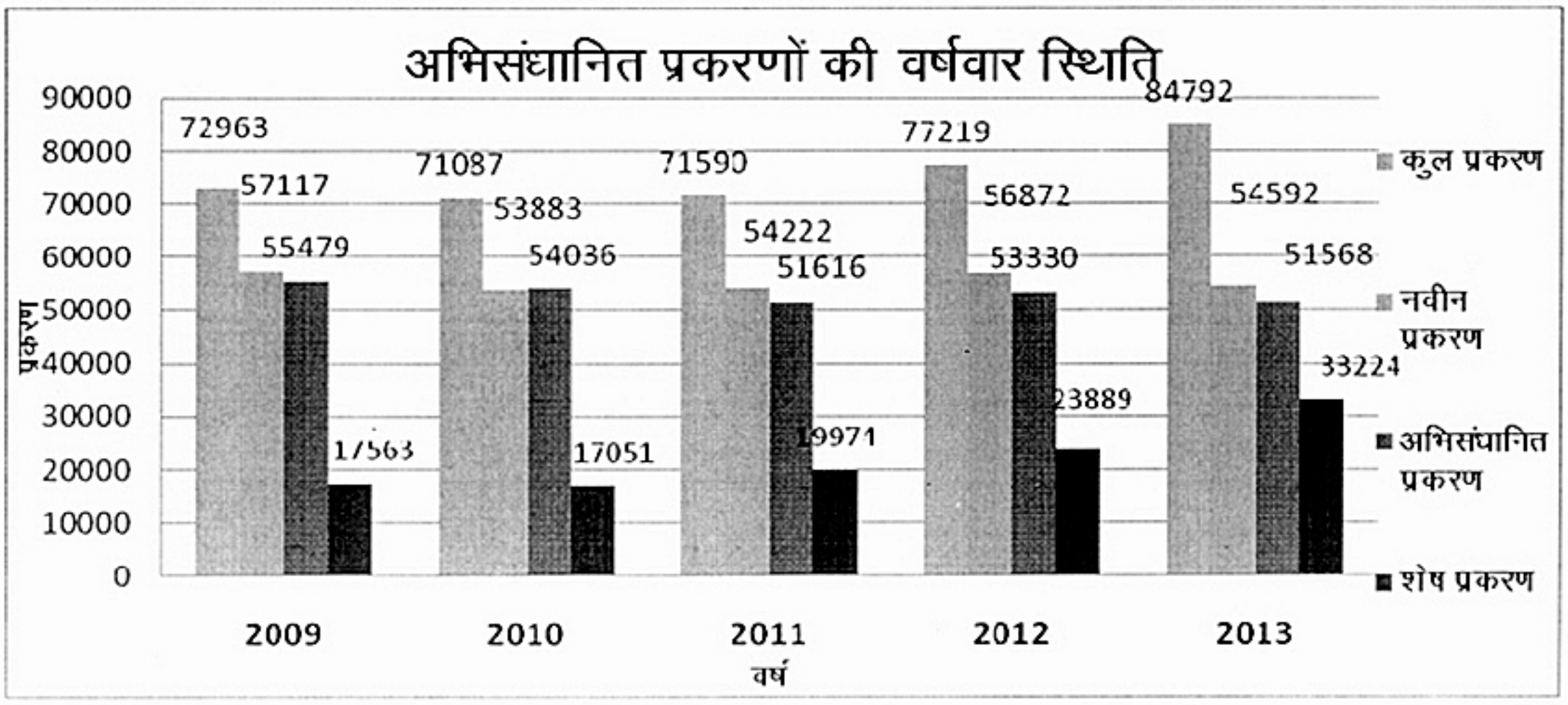

स्पष्ट है कि विगत वर्षों में अभिसंधान हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या में वर्षवार लगातार वृद्धि हो रही है। अतः उप वनमण्डल अधिकारियों एवं वनमंडल अधिकारियों द्वारा अभिसंधान के प्रकरणों के निराकरण में विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

वर्ष 2013 के अंत में अभिसंधान हेतु लंबित प्रकरणों का प्रतिशत के अवरोही क्रम में वृत्तों की स्थिति निम्नानुसार है :–

अ0क्र0	वृत्त	कुल प्रकरण	शेष	प्रतिशत
1	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	93	93	100
2	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	566	459	81
3	सागर	11928	8328	70
4	संजय टाईगर रिजर्व सीधी	78	53	68
5	उज्जैन	5272	3537	67
6	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	2057	1229	60
7	शिवपुरी	2933	1675	57
8	छतरपुर	7468	3900	52
9	छिंदवाड़ा	7799	3574	46
10	सिवनी	8129	2916	36
11	बालाघाट	4085	1414	35
12	कूनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	222	68	31
13	खण्डवा	5381	1247	23
14	भोपाल	7768	1670	21
15	ग्वालियर	6566	1211	18
16	जबलपुर	5258	856	16
17	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	19	3	16
18	इंदौर	2014	278	14
19	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	248	31	12
20	रीवा	1923	232	12
21	बैतूल	2456	239	10
22	शहडोल	2519	211	8

तालिका से स्पष्ट है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सागर, उज्जैन, कान्हा टाइगर रिजर्व, शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी एवं छतरपुर वृत्तों में अभिसंधान हेतु लंबित प्रकरणों

की संख्या कुल अभिसंधान हेतु प्राप्त प्रकरणों के 50 प्रतिशत से अधिक है। अतः इन वन वृत्तों में अभिसंधान की गति तेज करने की जरूरत है।

वर्ष 2013 के अंत में अभिसंधान हेतु लंबित प्रकरणों का प्रतिशत के अवरोही क्रम में वनमण्डलों की स्थिति निम्नानुसार है :–

अ0क्र0	वनमण्डल	कुल प्रकरण	शेष प्रकरण	प्रतिशत
1	उज्जैन	41	41	100
2	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	93	93	100
3	नीमच	263	254	97
4	रतलाम	305	293	96
5	दमोह	8655	7826	90
6	मंदसौर	222	187	84
7	अशोकनगर	631	531	84
8	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	566	459	81
9	शाजापुर	109	82	75
10	टीकमगढ़	1272	934	73
11	उत्तर पन्ना	2691	1964	73
12	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	78	53	68
13	शिवपुरी	1119	748	67
14	देवास	4332	2680	62
15	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	2057	1229	60
16	पूर्व छिंदवाड़ा	3910	2260	58

इससे स्पष्ट है कि 16 वनमण्डलों में अभिसंधान हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है। अतः इन वनमण्डलों में अभिसंधान की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है।

5– <u>अभिसंधानित वन अपराध प्रकरणों में वसूली की स्थिति</u> :–

वर्ष 2013 में कुल 15325 प्रकरण में अभिसंधान के पश्चात् रूपये 4.71 करोड़ रूपये की वसूली की जानी थी, जिसमें 14378 प्रकरणों में रूपये 4.30 करोड़ वसूल किये गये। वर्ष के अंत में 347 प्रकरणों में रूपये 41.1 लाख वसूली हेतु शेष हैं।

वर्षवार वसूली के कुल प्रकरणों की संख्या, वसूल किये गये प्रकरणों की संख्या तथा वसूली हेतु शेष रह गये प्रकरणों का चार्ट निम्नानुसार है :–

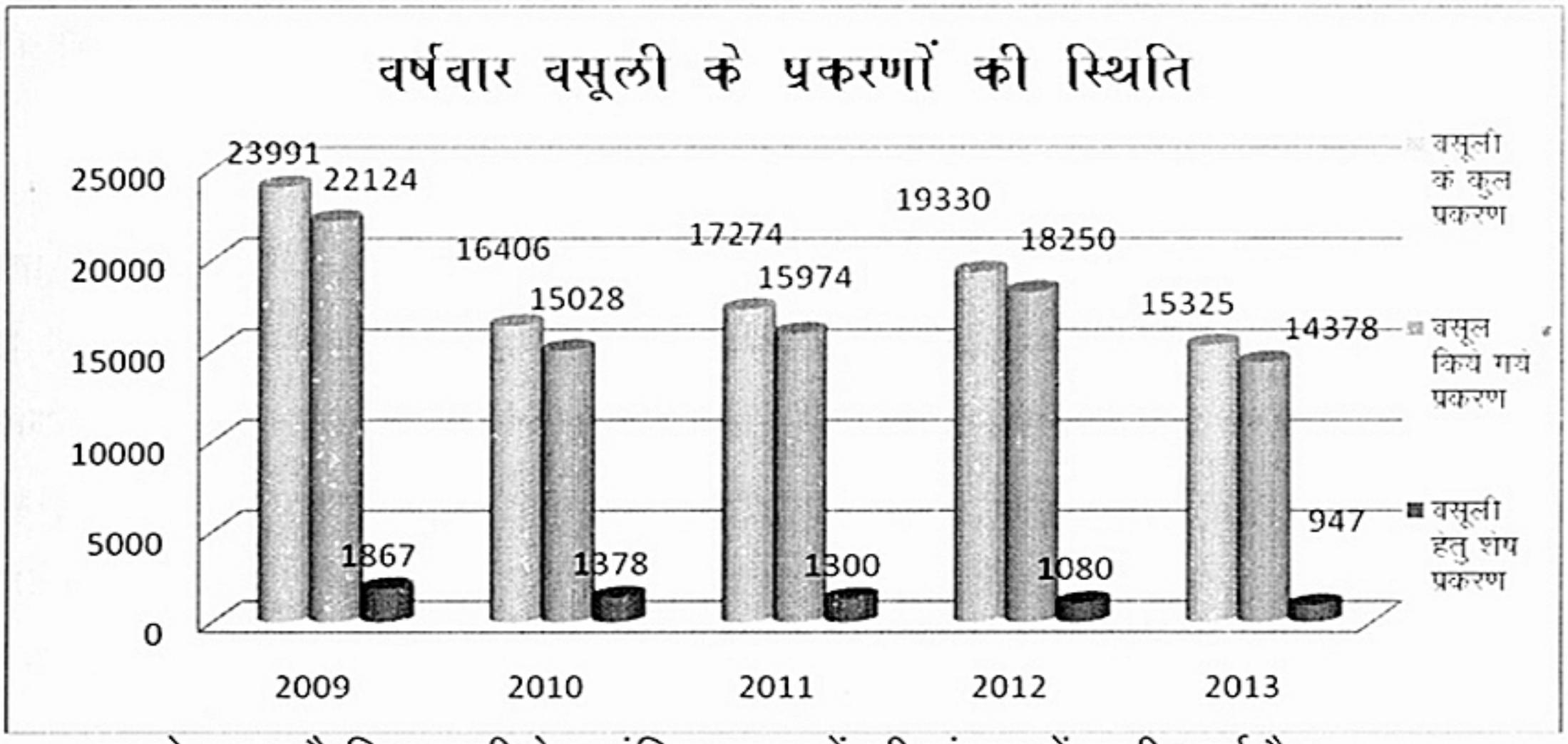

इससे स्पष्ट है कि वसूली हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी आई है।

वर्षवार वसूली हेतु लंबित, वसूल की गयी तथा वसूली हेतु शेष रह गयी कुल राशि की जानकारी निम्न 'बार चार्ट' में दर्शित है :–

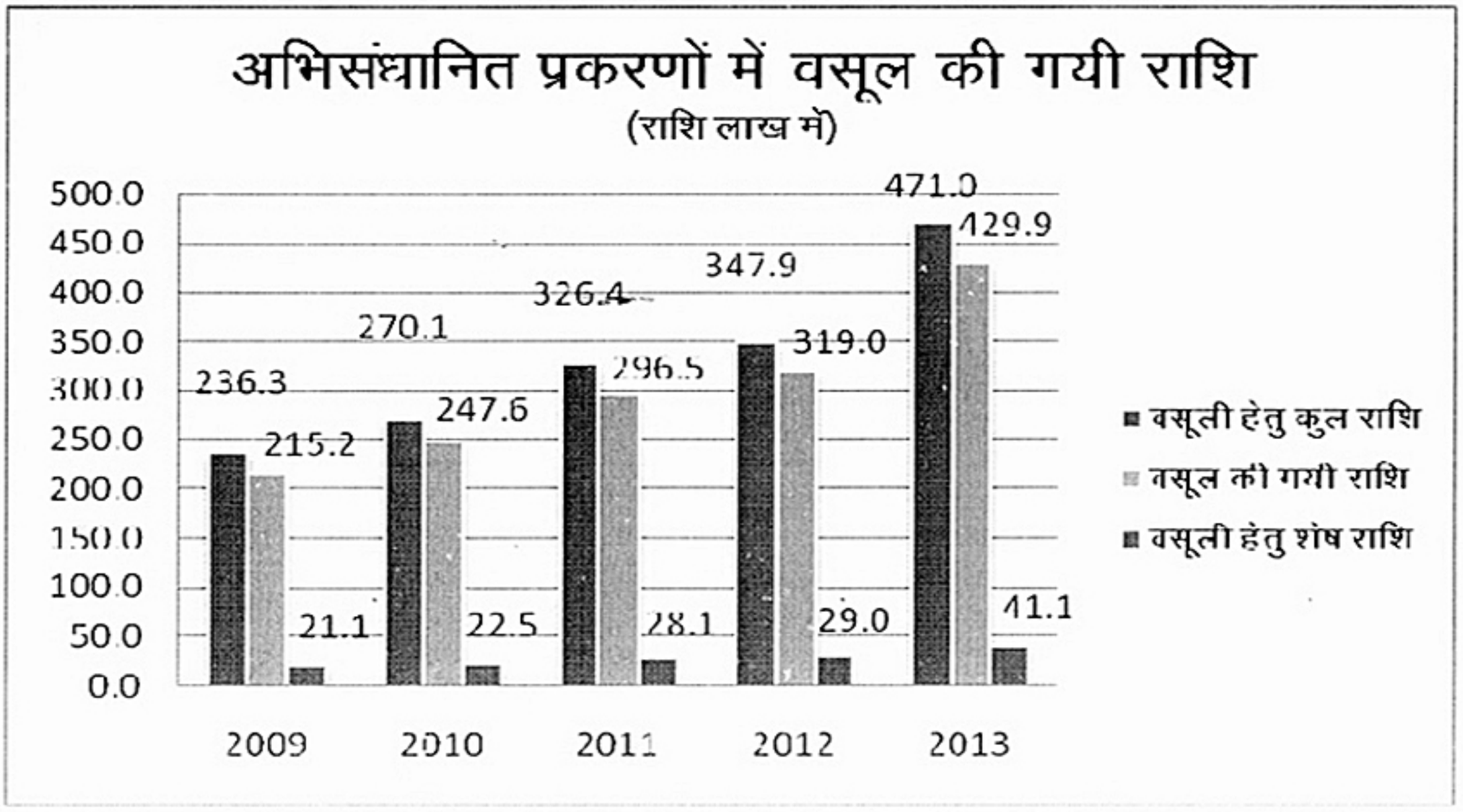

इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में अभिसंधानित प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही की जा रही है तथा वर्षवार वसूल की गयी राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जबकि कुल प्रकरणों की संख्या औसतन 16,000 प्रतिवर्ष रही है।

वर्ष के अंत में 41.1 लाख अभिसंधानित राशि वसूली हेतु शेष है। शेष राशि का मुख्य भाग निम्नानुसार 5 वृत्तों के अंतर्गत आता है।

अ.क्र.	वृत्त	वसूली हेतु शेष राशि
1	भोपाल	1218181
2	उज्जैन	1131929
3	सागर	446892
4	शिवपुरी	296206
5	रीवा	263186

स्पष्ट है कि भोपाल, उज्जैन, सागर, शिवपुरी एवं रीवा वृत्तों में ही राशि रूपये 37.01 लाख शेष है जो कुल शेष राशि का लगभग 85 प्रतिशत है।

वर्ष 2013 में वसूली हेतु शेष राशि के अवरोही क्रम में वनमंडलवार स्थिति निम्नानुसार हैः –

क्रमांक	वनमण्डल	वसूली हेतु शेष राशि (रूपये में)
1	शाजापुर	967679
2	सीहोर	941141
3	नौरादेही	269608
4	अलीराजपुर	198411
5	नरसिंहपुर	192645
6	सिंगरौली	188238
7	शिवपुरी	170170
8	औबेदुल्लागंज	166769
9	उज्जैन	126500
10	रायसेन	105021
11	उत्तर सागर	96078
12	दक्षिण सागर	81206
13	अशोकनगर	79354
14	सतना	74948
15	पश्चिम बैतूल	52000
	योग	**3709768**

इससे स्पष्ट है कि शाजापुर में 9.60 लाख, सीहोर में 9.40 लाख एवं नौरादेही में 9.60 लाख की वसूली लंबित है जो प्रदेश में सर्वाधिक है। इन वनमण्डलों में विशेष अभियान चलाकर वसूली की कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर लंबित राशि की वसूली की स्थिति संतोषजनक है।

अभिसंधान की प्रकिया तब ही पूर्ण मानी जाती है जब कि संबधित पक्षकार द्वारा धनराशि जमा कर दी गई हों । इसके बावजूद वन मण्डलो में बढ़ी संख्या में धनराशि वसूली हेतु शेष बताई गई है। किसी भी स्थिति में अभिसंधानित धनराशि वसूली हेतु शेष नहीं रहनी चाहिये क्योकि इसकी वसूली के लिये कोई वैधानिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। समस्त वन मण्डलों को नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, नही तो भविष्य में लंबीत राशि काफी बड़ी हो जाएगी। जिसे अपलेखित करने के सिवाय अन्य कोई विकल्प नही रह जायेगा ।

6. जप्त वनोपज का डिपों में परिवहन

वर्ष 2013 में विगत वर्षो की परिवहन हेतु शेष रह गई जप्त काष्ठ को मिलाकर कुल 206881 नग बल्ली, 258508 नग लट्ठे एवं 8086 जलाउ चट्ठे (कुल 2758+13768+8086= 24612 घ.मी.) का परिवहन किया जाने का लक्ष्य था, जिसके विरूद्ध कुल 130210 नग बल्ली, 175377 नग लट्ठे(9437 घ.मी.) एवं 4940 जलाउ चट्ठे का काष्ठागार में परिवहन किया गया । वर्ष 2013 के दौरान वनोपज के डिपों परिवहन की स्थिति का बार चार्ट निम्नानुसार है :–

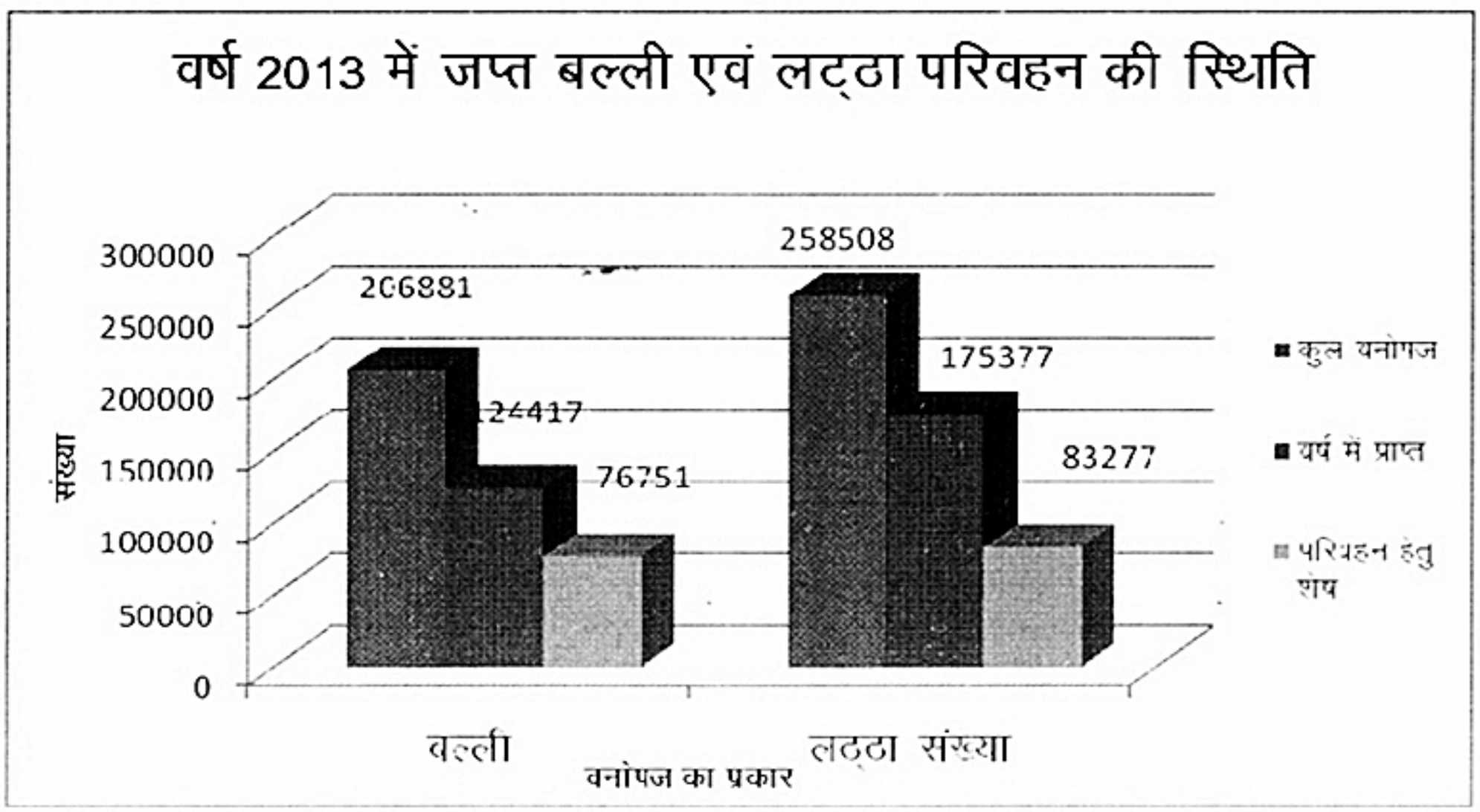

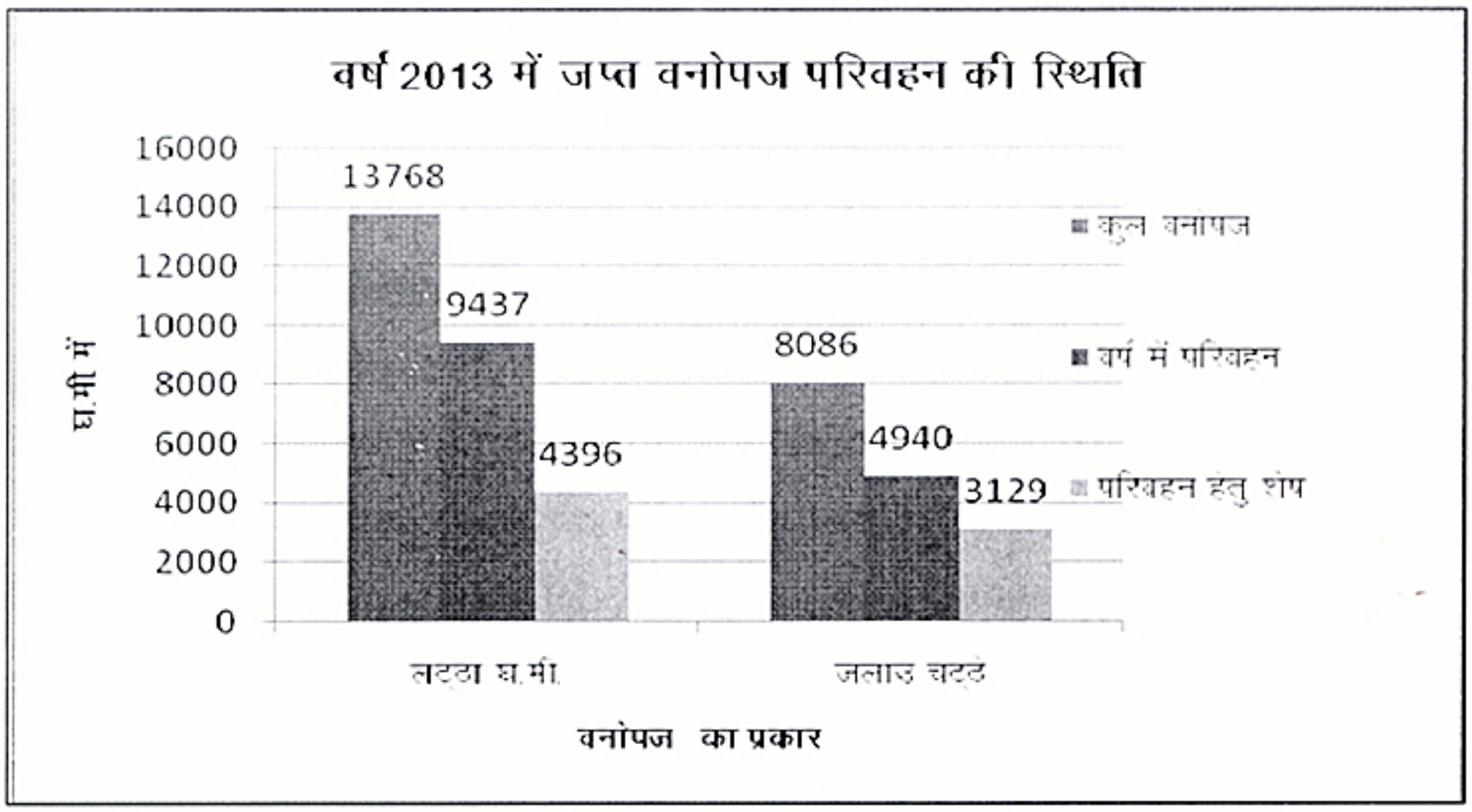

इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2013 के अंत में कुल 76751 नग बल्ली (1023 घ.मी.), 83277 नग लट्ठे(4396 घ.मी.) एवं 3129 जलाउ चट्ठे का परिवहन किया जाना शेष है। इस प्रकार कुल 8548 घ.मी. काष्ठ का परिवहन किया जाना शेष है, जिसका मूल्य लगभग रूपये 5.72 करोड़ है। अतः जप्त वनोपज के परिवहन में विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

वर्ष 2013 में परिवहन हेतु शेष जप्त वनोपज का विवरण प्रकरण अवरोही क्रम में वृत्तों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शित हैं :–

अ.क्र.	वृत्त	शेष लठ्ठा (नग)	परिवहन हेतु शेष बल्ली (नग)	कुल घनमीटर	शेष चट्ठा
1	खण्डवा	14480	18417	830	546
2	बालाघाट	4479	5733	546	49
3	भोपाल	9223	6537	405	356
4	बैतूल	12283	6029	363	20
5	सागर	5724	5084	353	347
6	कान्हा टा.रि. मण्डला	2632	838	335	0
7	ग्वालियर	6377	1886	239	409
8	सिवनी	8147	3922	237	189
9	जबलपुर	2024	6127	179	56
10	उज्जैन	4146	2005	175	142
11	शहडोल	1852	2789	162	82
12	छिंदवाड़ा	4047	7759	142	44
13	रीवा	1014.5	4933	109	102

14	शिवपुरी	3506	1150	89	536
15	छतरपुर	1712	2298	83	135
16	बांधवगढ़ टा.रि. उमरिया	536	505	62	13
17	इंदौर	0	268	38	87
18	पन्ना टा.रि. छतरपुर	541	173	20	10
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	124	7	12	10
20	सतपुड़ा टा.रि. पचमढ़ी	393	291	10	0

इससे स्पष्ट है कि परिवहन हेतु खण्डवा, बालाघाट, भोपाल, बैतूल एवं सागर वृत्तों में शेष है। अतः उक्त काष्ठ को तत्काल सुरक्षित डिपो में परिवहन किया जाना उचित होगा।

वर्ष 2013 में वन मण्डलवार परिवहन हेतु शेष काष्ठ की स्थिति निम्नानुसार है :–

अ.क्र.	वन मण्डल	शेष लठ्ठा (नग)	परिवहन हेतु शेष बल्ली (नग)	शेष कुल घनमीटर	शेष चट्ठा
1	बुरहानपुर	7653	13898	**482**	**407**
2	उत्तर बालाघाट	2711	3081	**436**	**28**
3	कान्हा टा.रि.मण्डला	2632	**838**	**335**	**0**
4	खण्डवा	5590	2542	**307**	**3**
5	नौरादेही	3613	3985	**237**	**44**
6	देवास	4130	2005	**170**	**127**
7	रायसेन	3078	1698	**154**	**39**
8	पश्चिम बैतूल	2582	1616	**149**	**0**
9	उत्तर बैतूल	7825	1780	**149**	**19**
10	नरसिंहपुर	4710	2367	**134**	**165**
11	हरदा	4385	825	**134**	**180**
12	दक्षिण बालाघाट	1768	2652	**110**	**21**
13	होशंगाबाद	1937	1027	**102**	**60**
14	सिंगरौली	1084	3969	**94**	**59**
15	डिण्डौरी	794	3434	**92**	**1**
16	सीहोर	1817	966	**88**	**63**
17	औबेदुल्लागंज	2169	1545	**81**	**152**

18	उत्तर शहडोल	740	527	**78**	**1**
19	पश्चिम छिंदवाड़ा	2505	3318	**69**	**11**
20	पूर्व छिंदवाड़ा	1440	3275	**68**	**29**

परिवहन हेतु सर्वाधिक काष्ठ बुरहानपुर, उत्तर बालाघाट, कान्हा टाइगर रिजर्व, खण्डवा, नौरादेही, देवास वनमण्डलों में शेष है। अतः शेष काष्ठ को तत्काल काष्ठागार में परिवहन की आवश्यकता है।

7 न्यायालय में वन अपराध के प्रकरणों का चालान

प्रदेश में कुल 65,000 वन अपराधों में से प्रतिवर्ष लगभग 2,500 प्रकरणों का कोर्ट में चालान किया जाता है। वर्ष 2013 में कुल 2,449 प्रकरणों का कोर्ट में चालान किया गया तथा 980 प्रकरण कोर्ट चालान हेतु शेष रह गये।

विगत 5 वर्षों के वर्षवार चालान हेतु प्राप्त कुल प्रकरणों की संख्या, चालान किये गये प्रकरणों की संख्या तथा चालान हेतु शेष रह गये प्रकरणों की संख्या निम्न **'बार चार्ट'** में दर्शित है:—

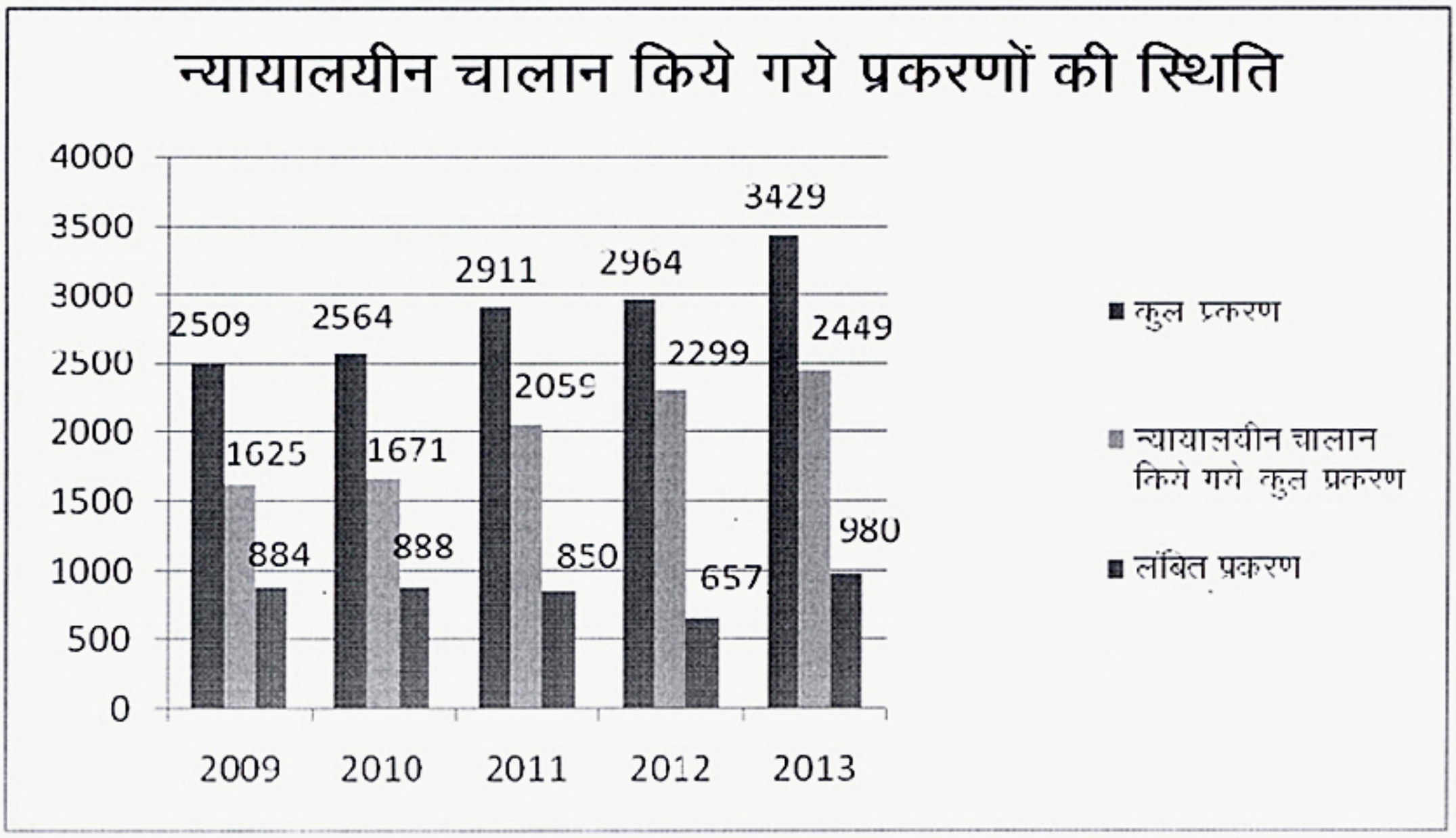

उपलब्ध आंकड़ों से ज्ञात होता है कि कोर्ट में चालान किये जा रहे प्रकरणों में लगातार वृद्धि हो रही है और विगत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2013 में चालान किये गये प्रकरणों में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि

हुई है। यही प्रवृत्ति विगत 5 वर्षों से निरंतर दृष्टिगोचर हो रही है। मुख्यतया महत्वपूर्ण एवं गंभीर वन अपराध प्रकरणों का ही कोर्ट में चालान किया जाता है। इससे पता चलता है कि वर्तमान में गंभीर वन अपराधों में वृद्धि हो रही है।

वर्ष 2013 में वृत्तवार चालान किये गये प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है :–

अ.क्र.	वृत्त का नाम	चालान हेतु प्रस्तावित कुल प्रकरण	चालान किये गये प्रकरण
1	भोपाल	451	389
2	रीवा	447	345
3	शिवपुरी	732	306
4	खण्डवा	196	187
5	ग्वालियर	178	173
6	उज्जैन	167	161
7	छतरपुर	247	156
8	इंदौर	133	118
9	शहडोल	100	94
10	सागर	146	93
11	जबलपुर	70	67
12	सिवनी	63	62
13	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	57	57
14	छिंदवाड़ा	50	47
15	बालाघाट	40	39
16	बैतूल	69	39
17	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	29	29
18	बांधवगढ़ टा.रि. उमरिया	44	23
19	माधव रा0 उद्यान शिवपुरी	23	23
20	सतपुड़ा टा.रि. पचमढ़ी	18	18
21	कुनो वन्यप्राणी व.म. श्योपुर	13	12
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	8	8
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	148	3

इससे स्पष्ट है कि सर्वाधिक चालान भोपाल, रीवा, शिवपुरी, खण्डवा एवं ग्वालियर वन वृत्तों में किये गये हैं। वन अपराधों की दृष्टि से वन वृत्त अत्यंत संवेदनशील भी हैं।

वर्ष 2013 में न्यायालय में चालान किये गये प्रकरणों में संख्या के अवरोही क्रम में वनमण्डलों की स्थिति निम्नानुसार है :–

अ.क्र.	वनमण्डल का नाम	चालान किये गये प्रकरण
1	गुना	281
2	देवास	148
3	भोपाल	144
4	सिंगरौली	118
5	सतना	112
6	सीधी	95
7	खरगौन	91
8	औबेदुल्लागंज	80
9	ग्वालियर	74
10	सीहोर	70
11	बुरहानपुर	68
12	टीकमगढ़	67
13	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	57
14	इंदौर	57
15	रायसेन	45
16	उत्तर पन्ना	43
17	विदिशा	38
18	नौरादेही	36
19	उत्तर शहडोल	35
20	दक्षिण सिवनी	33
21	पश्चिम बैतूल	32
22	अलीराजपुर	32
23	कटनी	31
24	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	29
25	दक्षिण छिंदवाड़ा	29

इससे स्पष्ट है कि गंभीर वन अपराधों की दृष्टि से गुना, देवास, भोपाल, सिंगरौली, सतना वनमंडल अत्यंत संवेदनशील है।

8. कालातीत प्रकरण

प्रदेश में पंजीबद्ध कुल वन अपराधों में वर्ष 2013 में 889 प्रकरण विभिन्न कारणों से कालातीत हुए जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	प्रतिवर्ष पंजीबद्ध प्रकरण	कुल कालातीत	कालातीत का प्रतिशत
2009	71040	1810	2.55
2010	63797	1293	2.03
2011	66514	940	1.41
2012	65121	1549	2.38
2013	62485	889	1.42

वर्षवार कालातीत प्रकरणों का प्रतिशत निम्न 'बार चार्ट' में दर्शित है :–

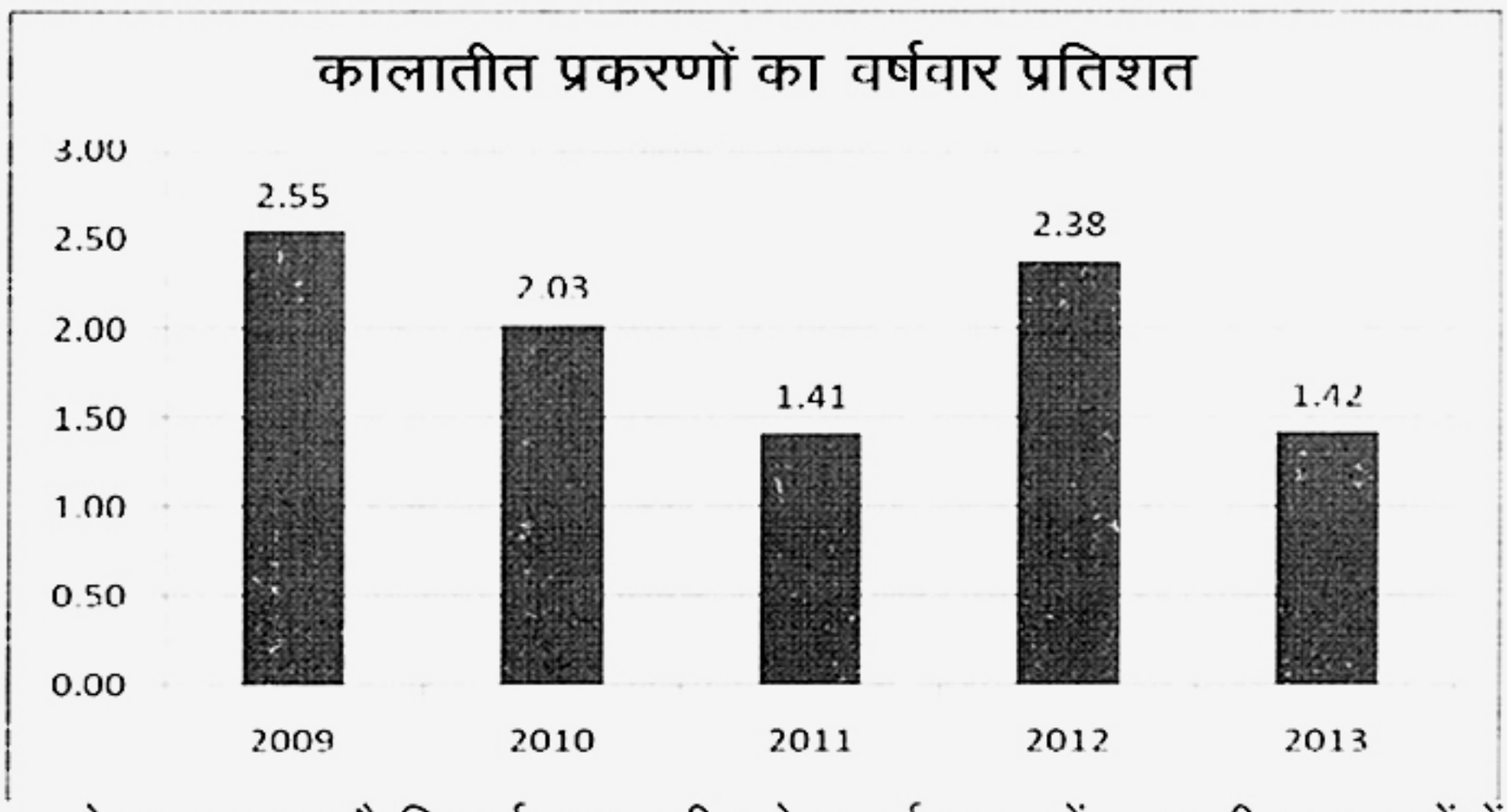

इससे पता चलता है कि वर्ष 2012 की अपेक्षा वर्ष 2013 में कालातीत प्रकरणों में कमी आई है। विभिन्न कारणों से कालातीत हुए प्रकरणों की वर्षवार स्थिति निम्न 'बार चार्ट' में दर्शित है :–

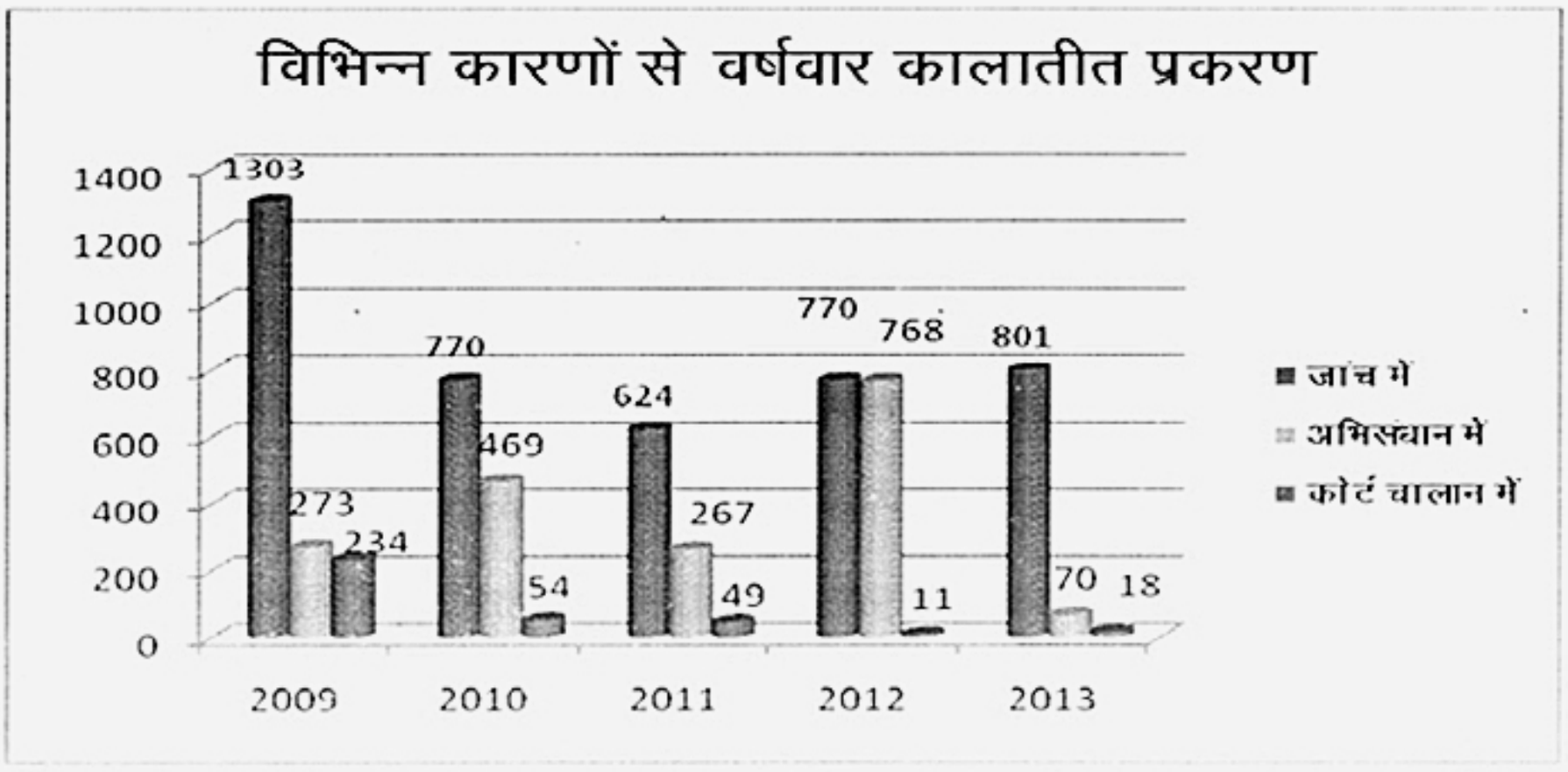

इससे स्पष्ट है कि सर्वाधिक कालातीत प्रकरण जाँच में विलंब होने के कारण होते हैं। अतः प्रकरणों की जांच की नियमित समीक्षा की आवश्यकता है। जाँच के पश्चात् अभिसंधान में हुई देरी के कारण भी पर्याप्त मात्रा में प्रकरण कालातीत हो रहे हैं जो उप वनमंडल अधिकारी स्तर पर उचित ध्यान न दिये जाने के कारण हैं। यह स्थिति चिंताजनक है। कुछ प्रकरण कोर्ट में समय से चालान न किये जाने के कारण भी कालातीत हो रहे हैं। अतः ऐसे प्रकरणों जिनमें कोर्ट में चालान किये जाने का निर्णय कर लिया गया है उन प्रकरणों को तत्काल कोर्ट में चालान किया जावे।

9. वन अपराध प्रकरणों में जप्त वाहनों की स्थिति

वर्ष 2013 में कुल 2342 वाहन राजसात की कार्यवाही हेतु शेष है। जिसमें वर्ष 2013 के दौरान कुल 1982 वाहन निराकरण हेतु प्राप्त हुए। वर्षवार वाहनों के निराकरण की स्थिति निम्न **'बार चार्ट'** में दर्शित है।

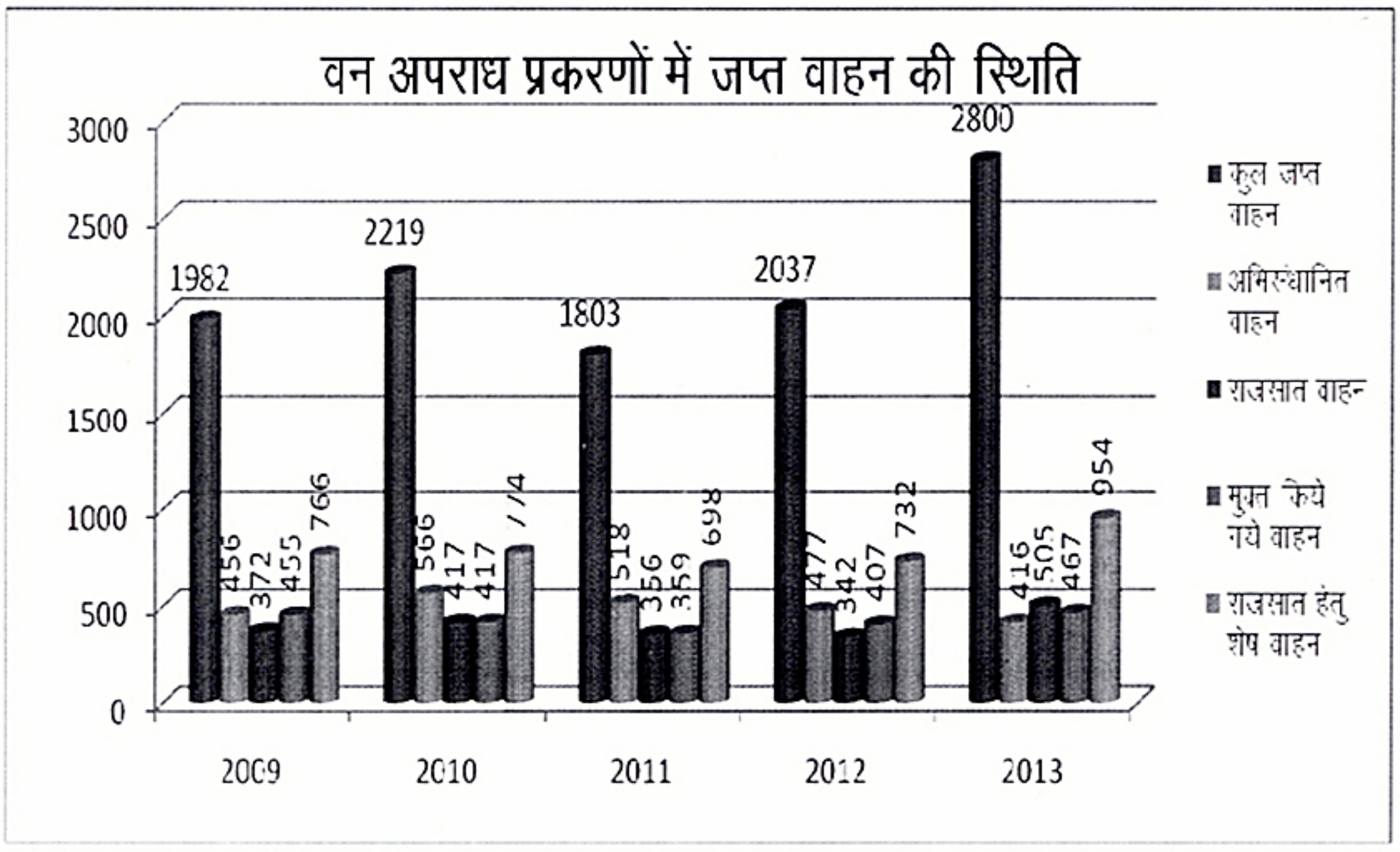

इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2013 में कुल निराकरण के लिये प्राप्त वाहनों में 416 वाहनों के अपराध छोटी प्रवृत्ति के होने के कारण अभिसंधानित कर दिया गया। 467 वाहनों को उनके मालिकों की मिलीभगत सिद्ध न होने के कारण अथवा उनके अपराध सिद्ध न होने के कारण मुक्त कर दिया गया। वर्ष 2013 में कुल 505 वाहनों को राजसात किया गया। वर्ष के अंत में कुल 954 वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है।

वन अपराध प्रकरणों में जप्त किये गये कुल वाहनों की संख्या तथा उनके निराकरण की स्थिति, जप्त वाहनों की संख्या के अवरोही क्रम में वृत्तों की स्थिति नीचे तालिका में दी गयी है :–

अ.क्र.	वृत्त	कुल जप्त वाहन	अभिसंधानित वाहन	राजसात वाहन	मुक्त किये गये वाहन	शेष वाहन
1	ग्वालियर	346	55	146	53	92
2	शिवपुरी	299	50	14	69	166
3	भोपाल	289	23	89	35	142
4	रीवा	178	68	14	57	39
5	छतरपुर	160	31	11	18	100
6	खण्डवा	126	4	39	22	61
7	सागर	126	32	12	21	61
8	संजय टा.रि. सीधी	123	0	63	0	60
9	शहडोल	109	15	6	44	44
10	उज्जैन	90	40	17	40	33
11	बैतूल	82	2	15	13	52
12	सिवनी	82	10	24	13	35
13	जबलपुर	69	24	17	12	16
14	बालाघाट	55	6	2	26	21
15	छिंदवाड़ा	53	1	1	18	33
16	सतपुड़ा टा.रि.पचमढ़ी	52	0	0	3	49
17	इंदौर	50	13	20	0	17
18	पेच टा.रि. सिवनी	27	0	7	0	20
19	माधव रा.उ. शिवपुरी	14	0	8	4	2
20	पन्ना टा.रि. छतरपुर	7	0	0	1	6
21	बांधवगढ़ टा.रि.उमरिया	4	2	0	1	1
22	कान्हा टा.रि. मण्डला	1	1	0	0	0
23	कूनो व0प्रा0 श्योपुर	0	0	0	0	0
24	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0	0
	योग	**2342**	**416**	**505**	**467**	**954**

इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2013 में सर्वाधिक वाहन ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, रीवा एवं छतरपुर वृत्तों में जप्त हुए हैं।

सर्वाधिक जप्त वाहनों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में वनमण्डलों की जानकारी नीचे तालिका में दर्शायी गयी है।

अ.क्र.	वृत्त	कुल जप्त वाहन	अभिसंधानित वाहन	राजसात वाहन	मुक्त किये गये वाहन	शेष वाहन
1	शिवपुरी	169	39	6	36	88
2	मुरैना	143	13	98	0	32
3	गुना	125	9	6	33	77
4	संजय टा.रि. सीधी	123	0	63	0	60
5	सीहोर	101	0	61	4	36
6	छतरपुर	76	13	2	7	54
7	रायसेन	67	17	5	15	30
8	श्योपुर	61	1	6	7	47
9	ग्वालियर	60	13	32	6	9
10	सिंगरौली	59	8	5	20	26
11	उमरिया	54	10	6	26	12
12	सतपुड़ा टा.रि. पचमढ़ी	52	0	0	3	49
13	विदिशा	50	1	6	2	41
14	दक्षिण सागर	49	4	12	10	23
15	बुरहानपुर	46	3	8	5	30

इससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा वाहन शिवपुरी, मुरैना एवं संजय टाइगर रिजर्व सीधी तथा सीहोर वनमण्डलों में जप्त हुए हैं।

10. वनकर्मियों पर संगठित हमले

विगत वर्षों में वन क्षेत्रों में संगठित वन अपराधों की घटनाएँ प्रकाश में आई हैं। प्रायः ऐसे मामलों में अपराधियों द्वारा समूह में वनकर्मियों पर हमले किये जाते हैं तथा उन्हें शासकीय कार्य करने में हतोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे प्रयास उत्खनन माफिया एवं अतिक्रमणकारियों तथा व्यवसायिक रूप से कटाई करने वाले गिरोहों द्वारा किया जाता है। बुरहानपुर जैसे क्षेत्रों में अतिक्रमणकारियों की दहशत के कारण वनकर्मियों के लिये वन क्षेत्रों में

गश्त कर पाना मुश्किल हो गया है। ऐसी घटनाएँ ग्वालियर, शिवपुरी एवं मुरैना वनमण्डलों में देखने को मिलते हैं। जहां अकेले वन रक्षक के लिये अवैध उत्खननकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करना संभव नहीं होता है।

Campa Uhar Atikraman

वैकल्पिक वृक्षारोपण उहर में अतिक्रमण कारियों द्वारा महिला वन कर्मी पर लाठी द्वारा प्रहार

अतिक्रामकों द्वारा वन अधिकारी पर तीर से हमला

विगत वर्षों में वनकर्मियों पर प्राणघातक हमलों के प्रकरणों की संख्या नीचे 'बार चार्ट' में दर्शित है :–

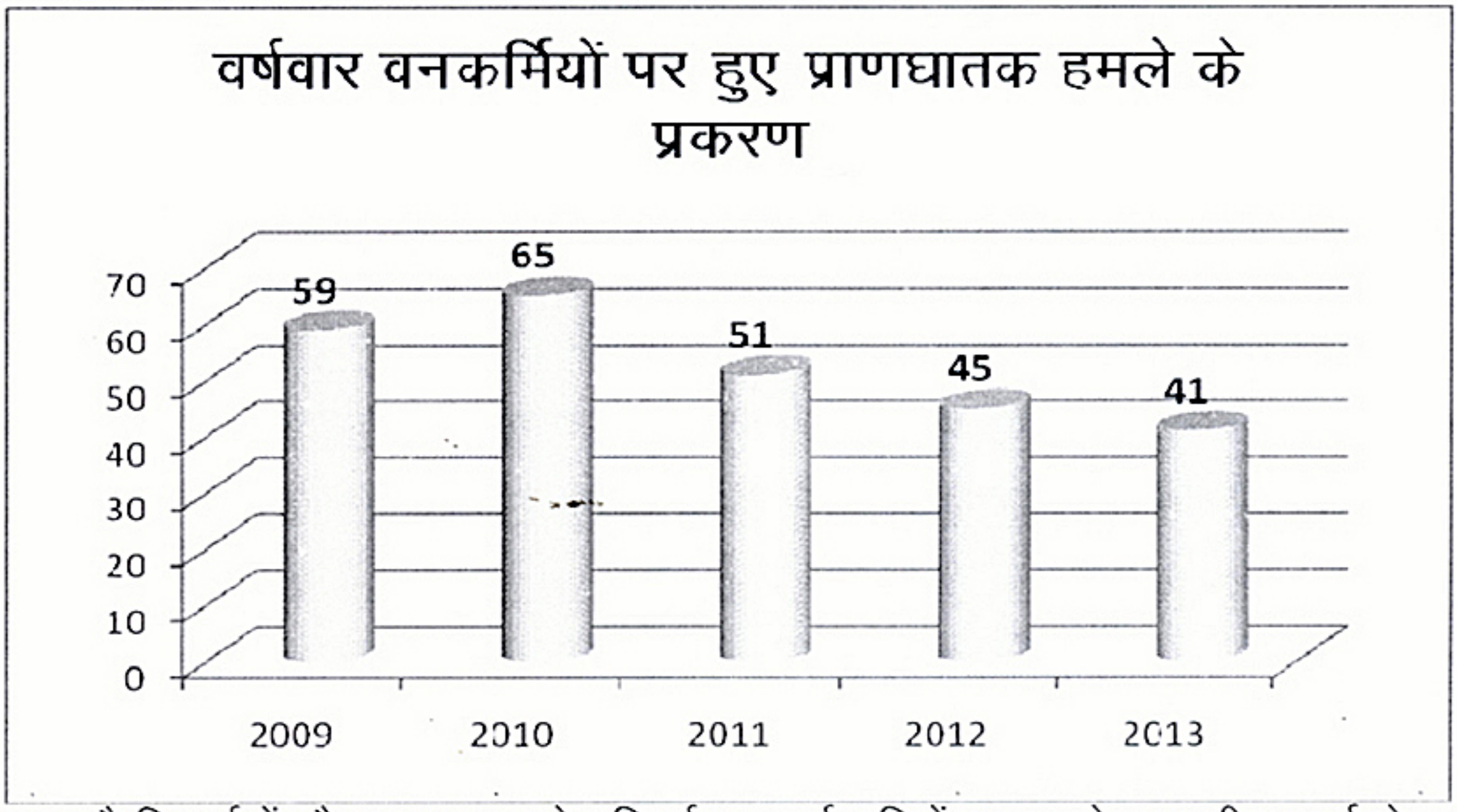

स्पष्ट है कि वर्ष में औसतन 52 हमले प्रतिवर्ष वन कर्मचारियों पर उनके शासकीय कार्य के दौरान किये जाते हैं। ऐसे हमलों से वनकर्मी हतोत्साहित होते हैं तथा निर्भय होकर शासकीय कार्य नहीं कर पाते। अतः ऐसे हमलों को गंभीरता से लिया जाकर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा तत्परता से कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

वर्ष 2013 में वन कर्मियों पर हुए हमलों की वृत्तवार स्थिति निम्नानुसार है :–

अ.क्र.	वृत्त	प्रकरण
1	ग्वालियर	12
2	छतरपुर	5
3	भोपाल	4
4	खण्डवा	3
5	शहडोल	3
6	उज्जैन	3
7	इंदौर	3
8	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	2
9	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	1
10	सागर	1
11	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	1
12	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	1
13	जबलपुर	1
14	रीवा	1

इससे स्पष्ट है कि सर्वाधिक हमले ग्वालियर वृत्त में हुए। जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन दूसरे नंबर पर रहे।

वर्ष 2013 में सर्वाधिक हमले के प्रकरणों के अवरोही क्रम में वन मण्डलों की स्थिति निम्नानुसार है :—

अ.क्र.	वन मण्डल	प्रकरण संख्या
1	ग्वालियर	7
2	मुरैना	3
3	श्योपुर	2
4	अनूपपुर	2
5	सीहोर	2
6	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल	2
7	दक्षिण पन्ना	2
8	इंदौर	2
9	छतरपुर	2
10	बुरहानपुर	2

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा हमले ग्वालियर एवं मुरैना वन मण्डल में हुये है।

सामान्य विश्लेषण :–

1. प्रदेश में विगत 3 वर्षों में अपराधों में कमी आई है। वर्ष 2013 में वन अपराधों की संख्या में वर्ष 2011 की अपेक्षा 6.4 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है। प्रकरण 2012 तक की तुलना में कम हुए हैं। वर्ष 2012 से 2013 के बीच अपराधों की संख्या में उतार चढ़ाव होते रहे हैं। वन अपराधों की संख्या अभी भी बहुत अधिक है। बढ़ते हुये जैविक दबाब व वनों में सक्रिय अपराधियों का सामना करने हेतु अभी भी सजग प्रयासों की आवश्यकता है ।
2. वन अपराध प्रकरण की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील वृत्त भोपाल, सागर, जबलपुर, सिवनी एवं खण्डवा हैं तथा प्रदेश में सर्वाधिक संवेदनशील वन मण्डल देवास, दमोह, रायसेन, गुना, बुरहानपुर, डिण्डोरी, पूर्व छिंदवाड़ा, खण्डवा, शिवपुरी एवं सीहोर हैं।
3. सबसे अधिक वन अपराध अवैध वृक्ष कटाई के है, जो कि कुल वन अपराधों का 86.6 प्रतिशत है। इसके बाद अवैध परिवहन, अतिक्रमण अवैध उत्खनन, के प्रकरण संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक हैं। अतः अवैध कटाई की दृष्टि से बिन्दु क्रमांक 2 में उल्लेखित वन वृत्त संवेदनशील माने जा सकते हैं।
4. वर्ष 2013 में अवैध कटाई के प्रकरणों में बीट निरीक्षण के कुल प्रकरण 36411 हैं एवं कुल दर्ज किये गये प्रकरणों की संख्या 54105 है। उपरोक्त दोनों प्रकार के प्रकरणों का अनुपात 2 : 3 का है। वर्ष 2013 में अवैध पातन के कुल वृक्ष 3,21,386 तथा बीट निरीक्षण इंस्पेक्शन में प्रकाश में आए अवैध कटाई के वृक्षों की संख्या 245374 है। इस प्रकार बीट निरीक्षण में प्रकाश में आए अवैध कटाई के वृक्षों की संख्या कुल काटे गये वृक्षों की संख्या का 75 प्रतिशत है।

   अवैध कटाई में वर्ष 2013 में कुल जप्त की गयी काष्ठ 13,387 घनमीटर में से 6,585 घनमीटर काष्ठ बीट निरीक्षण के दौरान जप्त की गयी जो कुल जप्त काष्ठ का 50 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि स्थानीय बीट प्रभारियों द्वारा अपना कार्य सही तरीके से नहीं किया जा रहा है।
5. वर्ष के अन्त में कुल 36054 प्रकरण जांच हेतु लंबित थे। इन पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
6. वर्ष के अन्त में कुल 33224 प्रकरण अभिसंधान हेतु लंबित हैं। जबकि वर्ष के दौरान 51568 प्रकरण अभिसंधानित किये गये। यह अन्तर काफी बड़ा है। अतः अभिसंधान की गति अत्यंत धीमी है।
7. वर्ष के दौरान सिर्फ 4.5 प्रतिशत प्रकरण ही कोर्ट चालान किये गये। अतः वन अपराधों के प्रति गंभीरता का अभाव परिलक्षित होता है। वर्ष के दौरान 14378 प्रकरणों में रूपये 4.29

करोड़ बतौर महसूल मुआवजा वसूल किये गये और लगभग रूपये 13.5 करोड़ की काष्ठ जप्त की गयी।

8. वर्ष के दौरान अवैध वनोपज परिवहन के कुल 1431 वाहन जप्त किये गये जिनमें से 467 वाहन राजसात हुए जो जप्त वाहनों का सिर्फ 32 प्रतिशत ही है। 68 प्रतिशत वाहन या तो मुक्त हो जा रहे हैं या अभिसंधानित कर दिये जा रहे हैं। वाहनों के प्रकरणों को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों द्वारा समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। भारी मात्रा में वाहनों का जप्त होना वन सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा है। अतः वाहनों के प्रकरणों में उदारता बरतना उचित नहीं है।
9. लगभग 39 प्रतिशत जप्त काष्ठ जिसका मूल्य 5.79 करोड़ को अभी भी काष्ठागारों परिवहन हेतु शेष है।
10. वन अपराध प्रकरणों का समय से निराकरण नहीं किये जाने के कारण कुल 889 प्रकरण कालातीत हुए।
11. प्रदेश में वर्ष के दौरान 3702 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया।
12. प्रदेश में वर्ष के दौरान 311 आरामशीनों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये और 118 आरामशीनें जप्त की गयीं। आरामशीनों द्वारा वन अपराध में लिप्त होना अत्यंत गंभीर स्थिति है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं हो रही है।
13. ग्वालियर वृत्त में वन कर्मियों पर सबसे ज्यादा प्राणघातक हमले किये गये।

वन सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के संबंध में सुझाव

1. वन क्षेत्रों में सघन गश्ती बढ़ाई जावे। स्थानीय अमले की गतिशीलता एवं दक्षता बढ़ाने के लिये और अधिक वाहन, शस्त्र एवं संचार उपकरण प्रदान किये जावें।
2. संगठित वन अपराधियों द्वारा वन कर्मियों पर किये जाने वाले हमलों के प्रकरणों में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा तत्परता से कार्यवाही की जावे और उन्हें कड़ी सजा दिलायी जाना सुनिश्चित किया जावे।
3. गंभीर एवं आदतन वन अपराधियों के विरूद्ध सार्वजनिक संपत्ति को क्षति से संरक्षण अधिनियम, 1984 की धाराओं के अधीन वन विभाग को संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान किया जावे।
4. गंभीर वन अपराध प्रकरणों को कोर्ट में चालान किया जावे।

5. क्षेत्रीय वन अमले की उपस्थिति सुनिश्चित रखने एवं उन्हें तत्परता से अपने कर्तव्य निर्वहन करने के लिये पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण पर विशेष ध्यान दिया जावे तथा दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावे।
6. वन अपराध प्रकरणों की जांच एवं अभिसंधान के कार्यों को और अधिक तेज किया जावे।
7. जप्तशुदा वनोपजों को यथाशीघ्र काष्ठागार में पहुंचाया जावे एवं उसका निर्वर्तन किया जावे।
8. वन अपराधों में लिप्त वाहनों एवं आरामशीनों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावे।
9. कालातीत प्रकरणों की समीक्षा की जावे और इसके लिये जिम्मेदार वन अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।
10. वन भूमि पर किये जाने वाले अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर उनके बेदखली की कार्यवाही की जावे एवं आदतन अपराधियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावे।
11. शासकीय कार्यों के दौरान सदभावनापूर्वक किये गये कार्यों के लिये वन कर्मियों के विरूद्ध पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न की जावे।
12. राजस्व क्षेत्र में स्वीकृत खदान क्षेत्र की सीमा के 1 कि.मी. क्षेत्र के अंदर अवैध उत्खनन पाये जाने की स्थिति में उक्त खदान की स्वीकृति निरस्त की जावे।

———''———